कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन–शाखा) म0 प्र0 भोपाल

क्रमांक/एफ/05/सम/उत्पा/ते.प./12/012/ 2213 भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2012

प्रति,

समस्त,

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश .

विषय :– तेन्दू पत्ता के निर्यातक एवं बीड़ियों के निर्माताओं के लिए नवीनीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख एवं घोषणा पत्र ।

—00—

विषयांतर्गत तेन्दूपत्ता के निर्यातकों एवं बीड़ियों के निर्माताओं के लिए प्रथम बार किए जाने वाले पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु आवश्यक अभिलेखों की सूची तथा नवीनीकरण के समय वन मण्डल कार्यालय द्वारा मांगें जाने वाले अभिलेखों की सूची एवं घोषणा पत्र की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता हैं कि अपने वृत्त के अंतर्गत समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियनों एवं पदेन वन मण्डलाधिकारियों को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जावे।

तेन्दूपत्ता के निर्यातकों एवं बीड़ियों के निर्माताओं द्वारा प्रथम बार पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का मूल प्रतियों से सत्यापन का कार्य संबंधित प्रबंध संचालक, जिला यूनियनों एवं पदेन वन मण्डलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार–3**

13/4

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्र/एफ/05/सम/उत्पा/ते.प./12/012/2214 भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2012

प्रतिलिपि :–

प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ मर्या0 भोपाल की ओर तेन्दूपत्ता के निर्यातकों एवं बीड़ियों के निर्माताओं के लिए प्रथम बार किए जाने वाले पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु आवश्यक अभिलेखों की सूची तथा प्रति नवीनीकरण के समय वन मण्डल कार्यालय द्वारा मांगें जाने वाले अभिलेखों की सूची एवं घोषणा पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं ।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार – 3**

13/4

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

a/c.

पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेखों की सूची	
1	निर्धारित प्रपत्र प्रारूप "छ" पर आवेदन पत्र ।
2	संबंधित वन मण्डलाधिकारी के पक्ष में 500/– रूपये प्रति वर्ष का बैंक ड्राफ्ट (अधिकतम 10 वर्षो हेतु) ।
3	पेन कार्ड की सत्यापित प्रति ।
4	वाणिज्यिक कर पंजीयन की सत्यापित प्रति ।
5	बीड़ी निर्माता होने की दशा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के पंजीयन की सत्यापित प्रति एवं व्यापार के चिन्ह की सत्यापित प्रति यदि कोई हो तो ।
6	निवास के पते के प्रमाण की छाया प्रति (कोई एक) (I) ड्रायविंग लाईसेंस (II) वोटर आई.डी. कार्ड (III) बैंक के खाते की पास बुक प्रति (IV) पासपोर्ट (V) अद्यतन स्थिति का बिजली का बिल (VI) अद्यतन स्थिति का दूरभाष का बिल
7	पार्टनरशीप डीड/पॉवर ऑफ अटार्नी की सत्यापित छाया प्रति ।
8	कंपनी होने की दशा में आर्टिकल आफ एसोसिएशन या मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन की बुकलेट ।
9	फर्म पंजीयन की सत्यापित प्रति ।
10	पासपोर्ट साईज की दो फोटो
11	मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आईडी
12	संबंधित राज्य लघु वनोपज संघ या समकक्ष संस्था का डिफाल्टर नहीं होने बाबत एवं वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध/लंबित न होने बाबत शपथ पत्र ।

नवीनीकरण के समय वन मण्डल कार्यालय द्वारा मांगें जाने वाले अभिलेख	
1	नवीनीकरण के समय फर्म की अद्यतन स्थिति की जानकारी ।
2	पार्टनरशीप फर्म के लिए किसी पार्टनर की मृत्यु, दिवालिया, पागलपन, नवीन पार्टनर का प्रवेश तथा पुराने पार्टनर को हटाने के कारण ।
3	पार्टनरशीप डीड में लाभ–हानि के अनुपात में परिवर्तन के कारण ।
4	पते में परिवर्तन के कारण ।
5	व्यापार के चिन्ह में परिवर्तन के कारण ।
6	पॉवर ऑफ अटार्नी में व्यक्ति के नामों में परिवर्तन के कारण ।
7	संस्था प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र (प्रारूप संलग्न) 100/– के स्टैम्प पेपर पर
8	संबंधित वन मण्डलाधिकारी के पक्ष में रूपये 500/–प्रति वर्ष की दर से बैंक ड्राफ्ट
9	संबंधित राज्य लघु वनोपज संघ या समकक्ष संस्था का डिफाल्टर नहीं होने बाबत एवं वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध/लंबित न होने बाबत शपथ पत्र ।
10	पार्टनरशिप फर्म के लिये किसी पार्टनर की मृत्यु अथवा पुराने पार्टनर को हटाने की दशा में मूल पार्टनरशिप डीड के साथ नवीन पार्टनरशिप डीड की छायाप्रति ।

पंजीयन नवीनीकरण के समय निम्न घोषणा पत्र एफिडेविट के रूप में 100 /– के स्टैम्प पेपर पर लिया जाना चाहिए :–

घोषणा – पत्र

मैं.. पिता श्री ....

पता...

संस्था का नाम ....का .... पदाधिकारी संस्था की ओर से सूचित करता हूँ कि मेरी संस्था का पेन नं./विक्रय कर पंजीयन/केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग का पंजीयन/निवास का पता/फर्म पंजीयन/कंपनी के रूप में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मूल पंजीयन के समय जो थे वे यथावत् हैं उनमें कोई संशोधन नही हुआ हैं । जिन प्रमाण पत्रों में संशोधन हुआ हैं उनकी नवीन प्रति साथ में संलग्न की हैं । यदि उपरोक्त सूचना असत्य पाई जाती हैं तो मेरा नवीनीकरण निरस्त योग्य माना जायेगा ।

हस्ताक्षर

संस्था प्रमुख